नगर पंचायत जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–पार्ट, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत जुब्बल, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रधान एवं सचिव नगर पंचायत जुब्बल में नियन्त्रण अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे

अवधि	अध्यक्ष का नाम
1.4.2015 से 18.1.2016	श्री गोबिन्द सोरटा
18.1.2016 से 31.3.2017	श्री बृज लाल

अवधि	सचिव का नाम
1.4.2015 से 31.10.2016	श्री अनिल कुमार
1.11.2016 से 31.3.2017	श्री अनिल चौहान

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0 सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	अनुदान की राशि का व्यय/उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6 (क)	87.94
2	अनुदान में से स्थापना पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय करना	7	26.39
3	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	11	13.73
4	सरकार के निर्देशानुसार गृहकर की दर में वृद्धि न करने के कारण वित्तीय हानि का होना	11 (क)	2.85
5	दुकानों के किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	12	17.69
6	गलत दर से वेतन आहरण करने कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना	17	0.23
7	क्रय की गई वस्तुओं का भण्डार रजिस्टर में ईन्द्राज न करना	24	1.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट ''क''** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत जुब्बल के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री हरदेव सिंह शांडिल, सहायक नियंत्रक व श्री सुनील कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17.1.18 से 13.2.18 तक नगर पंचायत जुब्बल स्थित कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 5/15, 3/17 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु 7/15, 11/16 के लेखाओं चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत कार्यालय जुब्बल द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलबध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किभी भी प्रकार के प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क ₹25200 आंका गया, जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7 दिनांक 12.2.2018 द्वारा सचिव, नगर पंचायत जुब्बल से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर पंचायत जुब्बल के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण [**परिशिष्ट ''ख''** के अनुसार] निम्न प्रकार से है।

Financial Year	Accounting Heads	Opening Balance	Income/Receipts	Total	Expenditure	Closing Balance
2015-16	Own Source	490252.25	1176849	1667101.25	1250522	416579.25
	Grants	9431704.43	3048107	12479811.43	3811104	8668707.43
	Total	9921956.68	4224956	14146912.68	5061626	9085286.68
Financial Year	Accounting Heads	Opening Balance	Income/Receipts	Total	Expenditure	Closing Balance
2016-17	Own Source	416579.25	1702810	2119389.25	1371324	748065.25
	Grants	8668707.43	3285646	11954353.43	3160785.18	8793568.25
	Total	9085286.68	4988456	14073742.68	4532109.18	9541633.50
Bank Reconcilation Statement of N.P. Jubbal						
1	Closing Balnce as per financial position				9541633.5	
2	Balances in bank accounts as on 31.3.17				9548013.5	
3	Difference				(-)6380	
	(i) Add-Amount of interest not entered into Cash book				15591	
	(ii) Add-Excess amount deposits into bank				99	
	(iii) Less-difference of previous audit report 4/12 to 3/15				(-)8415	
	(iv) Less-amount less deposits into bank				(-)895	
		Difference			Nil	
Detail of bank Balances						
	Sr.	Bank Name		A/C No.	Amt.	
	1	SBI Saving		11511190590	57312.96	
	2	SBI Saving		11511193705	7880615.54	
	3	HP State Co-Operative Bank		41610104750	1463640	
	4	HDFC		50100034794787	113330	
	5	PLA Treasury			33115	
				Total	9548013.5	

(ख) रोकड़ वही व बैंक खातों में ₹8415 के अन्तर का समाधान न करना

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 के पैरा संख्याः 4 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों में ₹8415 का अन्तर था, जोकि पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, किन्तु उक्त नगर पंचायत द्वारा वर्णित अन्तर का समाधान वर्तमान अंकेक्षण के दौरान भी नहीं किया गया था। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि इस अनियमितता बारे प्राथमिकता

के आधार पर ध्यान दिया जाए तथा विस्तृत जांच के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) बिना लेन–देन वाले बैंक खातों को जारी रखने का औचित्य स्पष्ट न करना

उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा निम्न HDFC बैंक के बचत खाता संख्या 4787 में छह माही ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई भी वित्तीय लेन–देन नहीं हुआ तथा इन बचत खातों में दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेष के रूप में 113330 अनुपयुक्त पडे थे, जिससे यह बचत खाता निष्क्रिय सा प्रतीत होता हैं। इसी प्रकार PLA में भी दिनांक 31.3.2017 को ₹33115 अन्तिम शेष में अनुपयुक्त पड़े थे। जोकि पूर्व अंकेक्षण अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 से शेष चले आ रहे है, न तो वर्तमान अंकेक्षण के दौरान कोई वित्तीय लेन–दे नही हुआ है और न ही इस खाते की पास बुक को अद्यतन किया गया है, जिससे यह बचत खाता भी निष्क्रिय प्रतीत होता है। अतः इन बचत खातों को बिना वित्तीय लेन–देन के जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को बन्द करके इनमें जमा पड़ी अनुपयुक्त राशि को नगर पंचायत के अन्य बचत खातों में हस्तांतरित करवाकर सदुपयोग किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(घ) ₹895 को बैंक खाते में जमा न किया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹895 बैंक खाते में कम जमा की गई जिसे अतिशीघ्र बैंक खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	**Date**	**Receipts No.**	**Amt. Deposited in bank**	**Amt. to be Deposited**	**Less amt deposited**
1	20.7.16	12673 to 12683	8957	9037	80
2	15.1.16	12554 to 12582	140558	141373	815
				Total	**₹895**

(ङ) बैंक में जमा ₹7.50 लाख की प्राप्ति का स्त्रोत व प्रकृति का विवरण अंकेक्षण को स्पष्ट न करनाः–

रोकड़ वही के योग व बैंक समाधान विवरणी से सम्बन्धित अभिलेख को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख की जाँच करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार बैंक में जमा ₹749518 की प्राप्ति का स्त्रोत व प्रकृति का विवरण न तो रोकड़ में ही वर्णित था और न ही नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया, जिसकी अनुपस्थिति में वर्णित प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4 दिनांक 2.2.18 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उनसे कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब इन प्राप्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण/अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके इनका सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**बैंक का नाम व खाता सं0**	**दिनांक**	**राशि**
1	SBI Saving A/C No. 11511193705	6.5.15	60000
2	–यथोपरि–	18.9.15	86940
3	–यथोपरि–	18.9.15	87299
4	–यथोपरि–	2.4.15	3000
5	–यथोपरि–	27.4.15	49800
6	–यथोपरि–	3.5.16	6000
7	–यथोपरि–	31.5.16	10000
8	–यथोपरि–	31.1.17	50000
9	–यथोपरि–	31.1.17	50000
10	–यथोपरि–	16.9.17	76765
11	–यथोपरि–	16.9.17	95475
12	–यथोपरि–	18.9.15	86940
13	–यथोपरि–	18.9.15	87299
		योग	**₹749518**

5 निवेश

अंकेक्षण अवधि के अन्त में विभिन्न खातों में निवेशित/जमा राशि का विवरण **परिशिष्ट ''ख''** में दिया गया है, जिसके अवलोकन पर विदित होता है कि रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों में ₹9548013.5 लाख की बड़ी रकम बचत खाते में जमा थी। इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा, पंचायत की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अल्प व दीर्घकालिक सावधिक जमा में निवेशित करने की सम्भावना को तलाशा जाए, ताकि पंचायत की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 अनुदान

सचिव नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट ''ग''** के माध्यम से अवधि 1.4.2015 से 31.3. 2017 के दौरान अनुदान की प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः—

(क) अनुदान ₹87.94 लाख दिनांक 31.3.2017 को व्यय/उपयोग हेतु शेष पाया जाना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट ''ग''** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को अनुदान की ₹8793568. 25 व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः इन अनुपयोगी अनुदान की राशियों को निर्धारित समय के अन्दर या सक्षम प्राधिकारी से उपयोग हेतु समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हीं उद्धेश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्धेश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अन्दर जारी करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹69.72 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करनाः—

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट ''ग''** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान ₹6971889.18 के अनुदान से व्यय की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित नहीं किए गए थे। वर्णित अभिलेख के अभाव में अनुदान से व्यय की गई

राशियों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्स्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाने के साथ–साथ जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना:–

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रख गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 नगर पंचायत द्वारा स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से ₹26.39 लाख का अधिक व्यय करना:–

Municipality Act, 1994 की धारा 53 (1) एवं इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिनांक 26.6.2001 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार नगरपालिकाओं के स्थापना व्यय को नियन्त्रण में रखने हेतु प्रावधान किए गए है, जिसके अनुसार नगरपालिकाओं के लिए स्थापना पर व्यय उनके कुल खर्च के एक तिहाई भाग (1/3) से अधिक नहीं होना चाहिए। अंकेक्षण अवधि के दौरान सचिव द्वारा **परिशिष्ट संख्या "ङ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्थापना पर व्यय निर्धारित सीमा से कहीं अधिक किया गया था, जिसका विवरण निम्न है:–

वित्तीय वर्ष	**कुल व्यय (₹)**	**निर्धारित सीमा 1/3 अनुसार व्यय जो स्थापना पर किया जाना चाहिए था (₹)**	**स्थापना पर किया गया वास्तविक व्यय (₹)**	**स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक किया गया व्यय**
2015–16	5061626.00	1687209	2825173	1137964 (67.44%)
2016–17	4532109.18	1510703	3011960	1501257 (99.37%)
कुल जोड़	9593735.18	3197912	5837133	2639221 (83.40%)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत द्वारा वर्णित नियमों व दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल ₹2639221 अर्थात 83.40% की राशि स्थापना पर अनियमित रूप से अधिक व्यय की गई थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में स्थापना पर व्यय वर्णित नियमों व दिशा–निर्देशों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पेन्शन व ग्रेच्युटी निधि, अंशदायी पेन्शन योजना निधि व सामान्य भविष्य निधिः–

(क) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई बैंक खाता संख्या SBI Saving A/C No. 33348151202 की पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख अवधि 1.4.15 से 31.3.2017 की पैन्शन व ग्रेच्युटी तथा सामान्य भविष्य निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

Year	Accounting Head	Opening Balance	Contribution	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2015-16	Pension & Gratuity	737153	106200	43479	886832	Nil	886832
	GPF	263107	175800	Nil	438907	50000	388907
	Total	**1000260**	**282000**	**43479**	**1325739**	**50000**	**1275739**
Year	**Accounting Head**	**Opening Balance**	**Contribution**	**Interest**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2015-16	Pension & Gratuity	886832	180000	70325	1137157	Nil	1137157
	GPF	388907	103800	Nil	492707	40000	452707
	Total	**1275739**	**283800**	**70325**	**1629864**	**40000**	**1589864**

(ख) सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अलग बैंक खाते का रख–रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अलग बैंक खाते का रख–रखाव नहीं किया गया था तथा कर्मचारियों से माहवार प्राप्त अभिदान की राशि को पेंशन व ग्रेच्युटी निधि के भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए बचत खाता संख्याः 33348151202 में ही जमा किया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित ₹452707 की राशि पेंशन व ग्रेच्युटी निधि के बैंक खाते में शेष जमा थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि का अलग बैंक खाता खोलकर उसमें उक्त वर्णित ₹452707 को पेंशन व ग्रेच्युटी निधि के बैंक

खाते से हस्तांतरित करके जमा करवाकर वर्णित अनियमितता का समाधान किया जाए तथा भविष्य में कर्मचारियों से माहवार प्राप्त अभिदान की राशि को सामान्य भविष्य निधि के बैंक खाते में ही जमा करवाया जाना भी सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) अंशदायी पेंशन योजना निधि (CPS)

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई बैंक खाता संख्याः SBI Saving A/c No. 33348151892 की पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख पर आधारित अवधि 3.10.2013 से 31.3. 2017 की अंशदायी पेंशन योजना निधि (CPS) की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

Balance of account Number 33348151892 as on 31.3.17=₹1497064

(घ) अंशदायी पेंशन योजना निधि, सामान्य भविष्य निधि व पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना

हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-B(1)-1/79-III, दिनांक 25.4.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के कर्मचारियों को पेंशन के लाभों की अदायगी के उद्धेश्य हेतु निदेशक द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–साथ इनका रख–रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह भी प्रावधान किया गया है कि नगरपालिकाएं कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पेंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाएगी। नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख–रखाव भी निदेशक द्वारा भी किया जाएगा। नगर पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि :–

(i) उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख–रखाव निदेशक की अपेक्षा नगर पंचायत द्वारा स्वयं ही किया जा रहा था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है।

(ii) नियमानुसार पेंशन व ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी पेंशन योजना निधियों का अलग–अलग बैंक बचत खाता/रोकड़ वही व वही खाता का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है, किन्तु इसके प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा इन निधियों की रोकड़ वही व वही खाता का रख–रखाव नहीं किया गया था, जबकि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित

कर्मचारियों का मासिक अभिदान पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के बैंक खाते में जमा किया जा रहा था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना तथा अनियमित है।

(iii) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के खातों में ₹1498064 जमा थी तथा यह राशि सावधि जमा में निवेश की अपेक्षा बचत खातों में जमा की जा रही थी, जिस जमा पर बैंक द्वारा बचत खाते का ब्याज जोकि केवल 3.50% है, दिया गया था। इस प्रकार बचत राशि को सावधिक जमा में निवेश न करके ब्याज रूप में भी धन की लगातार हानि हो रही थी। अतः यह प्रकरण निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय के ध्यान में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु लाया जाता है।

9 दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 1.4.2009 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख–रखाव करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त वर्णित निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण जहां निदेशक के आदेशों की उल्लंघना हो रही है, वहीं किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई और किस मद पर कितना खर्च हुआ तथा खर्च की गई राशि अनुमोदित बजट प्रावधान से अधिक तो नहीं है या अनुदान से प्राप्त राशि का उसी उद्धेश्य हेतु व प्राप्त अनुदान की राशि की सीमा तक ही व्यय किया गया था या नहीं इत्यादि तथ्यों/सूचना की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उक्त के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर/अभिलेख का भी रख–रखाव नहीं किया जा रहा था।

(i) कांट्रेक्टर लैजर

(ii)पेंशन निधि/सामान्य भविष्य निधि/अंशदाई पेंशन योजना निधि की रोकड़ वहियां/खाता बहियां

(iii) प्रतिभूति जमा रजिस्टर

(iv) स्थापना चैक रजिस्टर (ECR)

(v) बिजली उपकर मांग व संग्रहण रजिस्टर

(vi) मदिरा शुल्क मांग व संग्रहण रजिस्टर

(vii) बिजली/टेलीफोन/पानी बिल चैक रजिस्टर

10 रोकड़ वही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करनाः–

हि0 प्र0 म्यूनिसिपल लेखा संहिता के अध्याय–III के नियम 19(3) के अनुसार रोकड़ बही को अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है, किन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जोकि उक्त वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इसके अतिरिक्त अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक की रोकड़ बही के शेष का प्रत्येक माह के अन्त में बैंक खातों के शेष से मिलान भी नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ वही को लेखा संहिता के प्रावधानानुसार सत्यापित करवाया जाना और इनका प्रत्येक माह के अन्त में बैंक खातों के शेष से मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 गृहकर की बकाया राशि ₹13.73 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण को **परिशिष्ट ''घ''** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार गृहकर की बकाया राशि ₹1372910 दिनांक 31.3.2017 को वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः उपरोक्त वर्णित शेष राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) सरकार के निर्देशानुसार गृहकर की दर में वृद्धि न करने के कारण ₹2.85 लाख की वित्तीय हानि का होना

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UDH©(10)–7/98–II, दिनांक 17.11.2003 के अनुसार अवधि 2002–2003 में 7.5% की दर से गृहकर लगाकर इसमें प्रति वर्ष 1% की वृद्धि करके अवधि 2007–2008 तक गृहकर की दर को 12.5% किया जाना अपेक्षित था, किन्तु नगर पंचायत द्वारा गृहकर में नियमानुसार कोई वृद्धि नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप पंचायत को निम्न विवरणानुसार ₹284852 की गृहकर की हानि हुई। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 के पैरा 10(ख) द्वारा भी परामर्श दिया गया था, किन्तु उसके बावजूद भी सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई अमल में

न लाना गम्भीर अनियमितता है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	**7.5% की दर से गृहकर की मांग की राशि**	**12.5% की दर से गृहकर की अपेक्षित मांग की राशि**	**अन्तर**
2015–16	213639	356065	142426
2016–17	213639	356065	142426
कुल जोड़	**427278**	**712130**	**284852**

12 दिनांक 31.3.2017 तक दुकानों के किराए की बकाया राशि ₹17.69 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या "घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2017 को ₹1769104 दुकानों के किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी, इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किये जाएं तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 बिजली उपकर की राशि बिजली विभाग से प्राप्त न किया जानाः–

हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG(B)(1)–9/94, दिनांक 8.11.1999 एवं हि0 प्र0 म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना प्रावधित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान कोई भी राशि बिजली विभाग से प्राप्त नहीं हुई और न ही नगर पंचायत द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास किये गए। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से सम्पूर्ण अवधि की बिजली उपकर की देय राशि की वसूली सम्बन्धित अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

43 देय मदिरा शुल्क की राशि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त न किया जानाः–

हि0 प्र0 सरकार शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः ULB-HC(9)–28/96, दिनांक 1.11.1999 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा मदिरा उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना प्रावधित है। परन्तु अंकेक्षण के

दौरान कोई भी राशि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं हुई और न ही नगर पंचायत द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास किये गए। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से शेष देय राशि, यदि कोई हो तो, की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का संरक्षण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा बिजली व शराब उपकर की मांग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण भी नहीं किया गया था, जिसके अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती, जैसे कि निर्धारित दर से कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अतः अपेक्षित अभिलेख के संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में उक्त अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16 मोबाइल टॉवर शुल्क की बकाया राशि ₹0.69 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या "घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2017 तक मोबाइल टॉवर शुल्क बकाया राशि ₹69063 वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अंकेक्षण अवधि के दौरान मोबाईल टावर शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

17 गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण ₹0.23 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करनाः–

चयनित माह के वेतन बिलों एवं उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के कारण पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि मे निम्न वर्णित कर्मचारियों को देय दर की अपेक्षा अधिक दर से वेतन का भुगतान किया गया था, जिसका मुख्य कारण दिनांक 1.10.2012 से लागू संवर्ग/पदवार संशोधित ग्रेड पे का लाभ गलत तिथि 1.10.2010 से प्रदान करना तथा दिनांक 1.11.2014 से एक वेतन वृद्धि का अनियमित रूप से प्रदान करना

था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस सम्बन्ध मे आपत्ति उठाई गई थी तथा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान भी इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 3.2.18 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतयुत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उक्त वर्णित अनियतिता के कारण निम्नानुसार ₹23240 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान हुआ है। अतः उक्त अधिक भुगतान का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में सही दर से वेतन का आहरण भी सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

श्री चन्द लाल, सफाई कर्मचारी (Pay band 4900-10680+1650 GP & DNI 1st July)

अवधि	आहरित वेतन (प्रति माह)	देय वेतन (प्रतिमाह)	अन्तर	महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान की राशि
1.10.10 to 31.12.10=3m	5490+1650=7140	5490+1300=6790	350	162/ (45%) (Actual Drawn)	1536
1.1.11 to 30.6.11=6m	5490+1650=7140	5490+1300=6790	350	178/ (51%)	3168
1.7.11 to 31.12.11=6m	5710+1650=7360	5700+1300=7000	360	209(58%)	3414
1.1.12 to 30.6.12=6m	5710+1650=7360	5700+1300=7000	360	234 (65%)	3564
1.7.12 to 30.9.12=3m	5930+1650=7580	5910+1300=7210	370	266/(72%)	1908
1.10.12 to 31.12.12=3m	5930+1650=7580	5910+1300=7560	20	14/(72%)	102
1.1.13 to 30.6.13=6m	5930+1650=7580	5910+1300=7560	20	16/ (80%)	216
1.7.13 to 31.12.13=6m	6160+16500=7810	6140+1650=7790	20	18/ (90%)	228
1.1.14 to 30.6.14=6m	6160+1650=7810	6140+1650=7790	20	20/ (100%)	240
1.7.14 to 30.10.14=4m	6370+1650=8050	6380+1650=8030	20	21/ (107%)	164
1.11.14 to 31.12.14=2m	6650+1650=8300	6380+1650=8030	270	289/ (107%)	1118
1.1.15 to 30.6.15=6m	6650+1650=8300	6380+1650=8030	270	305/(113%)	3450

1.7.15 to 31.3.16=9m	6650+1650=8300	6620+1650=8270	30	34/ (113%)	576
1.4.16 to 30.6.16=3m	6650+1650=8300	6620+1650=8270	30	37/ (125%)	201
1.7.16 to 31.12.16=6m	6900+1650=8550	6870+1650=8520	30	38/ (127%)	408
1.1.17 to 30.6.17=6m	6900+1650=8550	6870+1650=8520	30	39/ (130%)	414
1.7.17 to 31.12.17=6m	7160+1650=8810	7130+1650=8780	30	40 (134%)	420
				जोड़	**21127**
		CPS 10% अंशदान (नियोक्ता का हिस्सा)			**2113**
				कुल जोड़	**23240**

18 टैक्सी भाड़े के रूप में ₹0.02 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

(वाउचर संख्या 1, दिनांक 13.5.15=₹3500)

चयनित माह के वर्णित व्यय/भुगतान वाउचर एवं उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री बिटू मालिक टैक्सी संख्याःएच0पी0–01ए–4423 को नगर पंचायत के अधिकारियों व कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग में "Half day traning of e-Tendering for ULB officials and IT and municipal finance exports of H.P. आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए जुब्बल से शिमला तक जाने व आने हेतु ₹3500 भुगतान किया गया था। इस व्ययरुभुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) वाउचर के साथ कोई भी विवरण संलग्न/प्रस्तुत नहीं किया गया कि किन–किन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा टैक्सी में यात्रा की, कुल कितने कि0मी0 की यात्रा तय की गई तथा भुगतान की दर क्या थी, कार्यशाला में उपस्थिति प्रमाण पत्र इत्यादि भी प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में भुगतान की औचित्यता की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव नहीं हो सकी।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या Tpt-F (5) 3/2003, दिनांक 25.8.2011 द्वारा 6 सीट वाली साधारण टैक्सी का गैर जनजातीय क्षेत्र हेतु किराया अधिकतम ₹8.74 प्रति कि0मी0 (सभी कर सहित) की दर से निर्धारित किया गया है तथा जुब्बल से शिमला की दूरी अधिकतम 100 कि0मी0 आने–जाने की कुल दूरी 200 कि0मी0

बनती है, इसलिए वर्णित टैक्सी हेतु भुगतान ₹1748 (200 कि0मी0 x ₹8.74) से अधिक नहीं होना चाहिए था। अतः टैक्सी भाड़े का ₹3500 भुगतान करने के कारण ₹1752 (₹3500–₹1748) का अधिक भुगतान हुआ है, जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से अधिक भुगतान की राशि की वसूली करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाए।

19 नगर पंचायत निधि से ₹0.39 लाख के पेन्शन अंशदान (नियोक्ता हिस्से) का अनियमित रूप से अधिक भुगतान करना

चयनित माह के वेतन व्यय/भुगतान वाउचरों तथा उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री जोगिन्द्र सिंह, सफाई कर्मचारी का पेन्शन अंशदान (नियोक्ता हिस्सा) देय दर की अपेक्षा अधिक दर से नगर पंचायत निधि से पेन्शन निधि को भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ मे विस्तृत जाँच करने पर विदित हुआ कि दिनांक 30.11.2017 तक निम्न विवरणानुसार ₹38764 का अधिक भुगतान किया जा चुका था, जोकि अनियमित है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 22 तथा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या 5 दिनांक 3.2.18 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः अब इस अनियमितता का समाधान करने ₹38764 को पेन्शन निधि से वापिस प्राप्त कर पंचायत निधि मे जमा करवाकर किया जाए तथा भविष्य में पेन्शन अंशदान (नियोक्ता हिस्सा) देय दर से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

पैन्शन अंशदान (नियोक्ता हिस्सा)

अवधि	पे बैंक/ग्रेड पे	पे बैंड के अधिकतम का 12% की दर से देय पेन्शन अंशदान (नियोक्ता हिस्सा) (प्रतिमाह)	पेन्शन अंशदान (नियोक्ता हिस्सा) की वास्तविक भुगतान राशि (प्रतिमाह)	अन्तर (प्रतिमाह)	अधिक भुगतान की राशि
1.9.12 to 30.11.12=3m	4900-10680+1400GP	1282	1500	218	654

1.12.12 to 31.7.13=8m	4900-10680+1400GP	1282	1800	518	4144
1.11.14 to 31.3.16=17m	4900-10680+1400GP	1282	2200	918	15606
1.4.16 to 30.11.17=20m	4900-10680+1400GP	1282	2200	918	18360
				Total	**₹38764**

20 लीगल फीस के भुंगतान में पाई गई अनियमितताएंः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 1 दिनांक 12.6.2015 द्वारा श्री लोकेन्द्र शर्मा वकील को ₹25000 का भुगताल लीगल फीस के रूप में निम्न मामलों की न्यायालय में पैरवी करने हेतु किया गया।

Sr.No.	**Bill No.**	**Dated**	**Particulars**	**Detail of Charges**	
1	Nil	25.4.14	Written statement of amended plaintiff filled by Smt. Saina Devi U/S 6 Rule 17 CPC	Legal Fee Clerical+Attestation charges	4500 500
2	Nil	25.9.14	Application U/s 11 rule 12 CPC to produce the document during pendency of suit	Legal fee Clerical+Attestation charges	2250 250
3	Nil	26.9.15	Application in reply U/s 26 rule of CPC filled by Smt. Saina Devi appointment of L.C.	Legal charges for reply Attestation+Affidavit charges	2250 250
4	Nil	26.9.14	In case of Saina Devi V/s N.P. Jubbal & others	Application No. U/S 1 rule 10 CPC reply filed lawyer fee Clerical+Attestation charges	2250 250
5	Nil	26.11.14	No detail of cases	Full & final remaining lawyer fee	7500

				Obtaining copy of order & other documents	1200
6	Nil	26.11.14	Full & final lawyer fee bill Sh. Parmanand V/s N.P. Jubbal	Full & final lawyer fee Clearical & obtaining certified copy	7500 1200
7	Nil	26.11.14	Full & final lawyer fee bill Sh. Parmanand V/s N.P. Jubbal	Full & final lawyer fee Clearical & obtaining certified copy	7500 1200
8	Nil	26.11.14	Filling of Reply U/s 11 Rule 12 CPC Parmanand V/S N.P. Jubbal	Lawyer Fee Clearical and attestation charges	2250 250
9	Nil	26.11.14	Filling of Reply U/S 26 Rule 9 CPC Parmanand V/S N.P. Jubbal (Application dimissed)	Lawyer Fee Clearical and attestation charges	250 250
10	Nil	26.11.14	Filling of written statement of amendment of plantiff U/s 6 Rule 17 CPC Parmanand V/S N.P. Jubbal	Written statement & filed Clearical and attestation of application	4500 500
				G.Total	48600

उक्त भुगतान में निम्न अनियतिताए पाई गईः–

(i) यद्यपि उक्त लीगल चार्जिज के लिए ₹48600 के बिल प्राप्त किये गए थे परन्तु इनके विरूद्ध ₹25000 का ही भुगतान किया गया था। उपरोक्त क्रम संख्या 5 पर ₹8700 का लीगल चार्जिज का भुगतान दर्शाया गया था परन्तु उपरोक्त भुगतान किस मामले से सम्बन्धित है इसका कोई विवरण बिल/अभिलेख में नहीं दिया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) क्रम संख्या 6 व 7 पर श्री परमानन्द V/S N.P. Jubbal के मामले में Full and Final legal fee के रूप में ₹8700 का भुगतान दो बार दर्शाया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

Legal Charges की उक्त भुगतान की गई दरों की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 अस्थाई अग्रिम ₹0.14 लाख के समायोजन का पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना (वाउचर संख्या 5 व 6 माह 7/2015)

हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम/कुसुम्पटी शिमला को वाउचर संख्या 5 व 6, माह 7/2015 द्वारा क्रमशः ₹49947+₹6744 कुल ₹56691 की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया जबकि अभिलेख में केवल मैसर्ज अम्बुजा सीमेंट का इंवायस नम्बर 8109014847 दिनांक 9.8.2015 जो कि ₹42998 की राशि का ही उपलब्ध था। इस प्रकार ₹56691–₹42998=₹13693 के समायोजन वाउचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ₹13693 के समायोजन का कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3, दिनांक 1.2.2018 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब अग्रिम समायोजन से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करते हुए लेन–देन की सत्यापना करवाई जाए अन्यथा इस राशि का नगर पंचायत निधि मे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 आयकर व बिक्री कर (Sale Tax) ₹0.48 लाख की राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा न करने बारेः–

नगर पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर और आयकर की कटौती निम्नविवरणानुसार की गई है परन्तु काटे गए बिक्री कर और आयकर को नगर पंचायत जुब्बल द्वारा सम्बन्धित विभाग मे जमा नहीं किया गया है। अतः काटे गए बिक्री कर व आयकर को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये।

Sr.No.	Vr.No./date	Name of work	% of Income tax/sales tax deducted	Amt.
1	2/8.11.16	Edging on the road parking in ward no.-7	1% T.Tax 2% sale tax	1438 2876
2	1/8.11.16	C/O railing in ward No. 6 near girls hostel jubbal	1% T.Tax 2% sale tax	2872 5784
3	2/8.7.15	C/O parking/multipurpose campus	1% T.Tax 2% sale tax	11747 23494
			Total	**48211**

23 लोक सम्बपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीघे तौर पर समाचाार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों पर ₹0.02 लाख का अनियमित व्ययः–

अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरण अनुसार विज्ञापन छपवाने ₹1971 का खर्च किया गया थाः–

क्र0सं0	वाउचर संख्या व दिनांक	कार्यों का विवरण	अनुमानित राशि	विज्ञापन का उद्देश्य / अभियुक्ति
1	1/13.11.15	C/O of two shps in front of Tehsil office	137000	Tender Notice
2	1/13.11.15	C/O Ambulance road from BDO office towards water Storage Tank in ward No.	47000	Tender Notice
	1/13.11.15	C/O Retaining wall behind sub judge Court	126225	Tender Notice

विज्ञापनों पर किए उक्त व्यय पर निम्नलिखित अनियतिताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार विज्ञापन DAVP दरों पर एवं हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाए जाने अपेक्षित थे परन्तु वर्णित प्रकरणों में इन अनुदेशों की अवहेलना करके विज्ञापन सीधे ही अखबारों में उच्च दरों पर छपवाए गए थे जोकि अनियमित है। अतः उक्त अनियमितता को या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उच्च सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाये या फिर इस अनियमितता के कारण हुई वित्तीय हानि पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उचित स्त्रोत से परिषद निधि की भरपाई की जाये।

24 क्रय की गई ₹1.06 लाख की वस्तुओं का भण्डार रजिस्टर मे गणना/ईन्द्राज नहीं करनाः–

वित्तीय नियमों के अनुसार खरीद की गई सभी मदों/भण्डार की गणना, परीक्षण, माप व तोल तथा भण्डार रजिस्टर में ईन्द्राज करना अति आवश्यक है। अंकेक्षण अवधि के दौरान भण्डार मदों की खरीद से सम्बन्धित बिलों व भण्डार रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹106260 की भण्डार मदों का भण्डार रजिस्टर में गणना/ईन्द्राज नहीं किया गया था तथा इस अनियमितता के कारण वर्णित मदों के दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7, दिनांक 3.2.2018 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कांई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस चूक के लिए नगर पंचायत अपने स्त्तर पर छानबीन/उचित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Vr.No./ Date	Name of Supplier & Bill No. & date	Name of Item	Quantity	Rate	Amount	Total
1	2/7.5.15	M/S Asha Ram & son's Jubbal	Shoes	6 Nos pairs	500 each	3000	3000
2	3/8.7.15	M/S Negi printing press bill No. 435 dt. 14.6.15	Attendence register M Bs	10 No. 11No.	100 100	1000 1100	2100
3	4/8.7.15	M/S Negi printing press bill No. 435 dt. 14.6.15	Parking slips Fom G-8	10 No.	170	1700	2700
4	1/30.5.16	M/S Hari kripa printing press Kotkhai bill No. 159 dt. 9.5.16	Cartrage	1 No.	1500	1500	1500
5	2/30.5.16	M/S Anand computer center bill No. 406 dt. 26.5.16	Tonner-12 A	1	2400	2400	2400
6	3/29.9.16	M/S Des Raj eng.works Jubbal Bill No. 076 Dt. Nil	Wheel barrow	5	5500	27500	27500

7	4/29.9.16	M/S Chavri enterprises Jubbal Bill No. 189 Dt. 2.9.16	Tube chowk tube T-5 wire	60 60 40	45 190 130	2700 11400 5200	22800
8	5/27.9.16	M/S Bill M/S Chavri enterprises Jubbal Bill No. 193 dt. 29.9.16	street lights ficture main switch	100 mtr. 8 No. 2 No.	35 1625 430	3500 13000 860	13860
9	1/8.12/16	Himachal Khadi asram bill No. 1310 dt. 8.9.16	Chairs Revolving chairs	8 No. 2 No.	1100 3050	8800 6100	14900
10	2/12.6/15	M/S Bill M/S chavri enterprises Jubbal Bill No. 0030 Dt. Nil	Tube rods Element T.S.	60 No. 40 No.	120 200	7200 8000	
			Service wire Tape role	10 mtr. 10 No.	20 10	200 100	15500
						Total	106260

25 औपचारिकताओं/विहित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही बिजली के सामान का क्रय किया जानाः—

उपरोक्त पैरा संख्या 24 की क्रम संख्या 7, 8 व 10 में दर्शाए गए बिजली का सामान जैसे टयूब, रॉड, सर्विस वायर इत्यादि से सम्बन्धित भुगतान बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त सामान के क्रय से पूर्व नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं/विहित प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं की गई थी जैसा किः—

(क) दिनांक 29.9.2016 को बिजली का सामान क्रय करने के लिए नियमानुसार टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा सीमित निविदा आमन्त्रित करने के नोटिस नगर पंचायत सूचना पट, तहसील कार्यालय व जुब्बल बाजार में लगाने हेतु जारी किए गए थे तथा वर्णित नोटिस में क्रय किये जाने वाले बिजली के सामान की अनुमानित मात्रा का विवरण नहीं दिया गया था।

(ख) प्राप्त निविदाएं किस तिथि की थी, किस तिथि को प्राप्त हुई थी, किन प्राधिकारियों द्वारा किस तिथि को निविदाओं को खोला गया इत्यादि का कोई उल्लेख निविदाओं पर नहीं था।

(ग) न्यूनतम निविदाकर्ता को बिजली का सामान किन शर्तों पर प्रतिपूर्ति करने का कार्य आबंटित किया गया, इससे सम्बन्धित अभिलेख में कोई विवरण नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में न तो कोई आंबटन पत्र ही जारी किया गया था और न ही कोई अनुबन्ध ही साईन किया गया था।

इस प्रकार नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं/विहित प्रक्रिया का पूर्ण न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन अनियमितताओं को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

26 स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हि0 प्र0 नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पचांयत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी मदों का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेंगे और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना के कारण अनियमित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी मद के दुर्विनियोजन/Pilferage

की सम्भावना से बचा जा सके तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

27 **लघु आपति विवरणिका :–** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

28 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्रवई करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः (v) 83/87–फिन(एल0ए0) खण्ड–II -4853-4854 दिनांक–16.07.2018 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है

पंजीकृत 1 सचिव, नगर पंचायत जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर, प्रतिवेदन जारी हाने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट ''क''

पैरा–1 (ग)

गत अंकेक्षणः– गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/1984 से 3/1987

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (बी) (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा 9 (ए से सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (डी, ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 13 (बी)	अनिर्णीत
8	पैरा 13 (सी)	अनिर्णीत
9	पैरा 13 (डी)	अनिर्णीत
10	पैरा 13 (एफ)	अनिर्णीत
11	पैरा 13 (जी)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1991

1	पैरा 12 (ग, घ, ङ)	अनिर्णीत
2	पैरा 13 (1) (क से घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 15 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 17 (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 18 (ङ)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1996

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 12 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा 12 (10 व 11)	अनिर्णीत
4	पैरा 12 (16 व 17)	अनिर्णीत
5	पैरा 13 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा 13 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा 13 (5)	अनिर्णीत
9	पैरा 13 (6)	अनिर्णीत
10	पैरा 13 (7) (4)	अनिर्णीत
11	पैरा 14 (5)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2005

1	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत

2	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा 6 (च)	अनिर्णीत
5	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा 8 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 8 (च)	अनिर्णीत
8	पैरा 8 (ज)	अनिर्णीत
9	पैरा 8 (ट)	अनिर्णीत
10	पैरा 8 (ठ)	अनिर्णीत
11	पैरा 8 (ड)	अनिर्णीत
12	पैरा 8 (ढ)	अनिर्णीत
13	पैरा 8 (ण)	अनिर्णीत
14	पैरा 8 (त)	अनिर्णीत
15	पैरा 8 (थ)	अनिर्णीत
16	पैरा 8 (द)	अनिर्णीत
17	पैरा 8 (न)	अनिर्णीत
18	पैरा 9 (क) (1 से 7)	अनिर्णीत
19	पैरा 9 (क) (9)	अनिर्णीत
20	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत
21	पैरा 9 (ग)	अनिर्णीत
22	पैरा 9 (घ) (1 से 5)	अनिर्णीत
23	पैरा 9 (ङ) (1 से 4)	अनिर्णीत
24	पैरा 10 (क, ख)	अनिर्णीत
25	पैरा 10 (घ)	अनिर्णीत
26	पैरा 10 (ङ)	अनिर्णीत
27	पैरा 10 (च)	अनिर्णीत
28	पैरा 10 (छ)	अनिर्णीत
29	पैरा 11 (क)	अनिर्णीत
30	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा 11 (ग)	अनिर्णीत
32	पैरा 11 (घ)	अनिर्णीत
33	पैरा 11 (ङ) (i से ii)	अनिर्णीत
34	पैरा 11 (च)	अनिर्णीत
35	पैरा 11 (छ)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (क से ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 8 (क से ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा 9 (2) (क)	अनिर्णीत

8	पैरा 9 (2) (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 3 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा 3 (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 3 (घ)	अनिर्णीत
12	पैरा 3 (ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा 5 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा 5 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा 5 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा 5 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा 5 (5)	अनिर्णीत
18	पैरा 6 (1)	अनिर्णीत
19	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत
21	पैरा 6 (4)	अनिर्णीत
22	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत
23	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत
24	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत
25	पैरा 7 (3)	अनिर्णीत
26	पैरा 7 (4)	अनिर्णीत
27	पैरा 7 (5)	अनिर्णीत
28	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत
29	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत
30	पैरा 8 (4)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2012

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 8 (च)	अनिर्णीत
8	पैरा 8 (ज)	अनिर्णीत
9	पैरा 8 (झ)	अनिर्णीत
10	पैरा 8 (ञ)	अनिर्णीत
11	पैरा 8 (ट)	अनिर्णीत
12	पैरा 8 (ठ)	अनिर्णीत
13	पैरा 8 (ड)	अनिर्णीत
14	पैरा 8 (ण)	अनिर्णीत
15	पैरा 8 (त)	अनिर्णीत
16	पैरा 9 (क)	अनिर्णीत
17	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 9 (ग)	अनिर्णीत
19	पैरा 10 (क)	अनिर्णीत

20	पैरा 10 (ख)	अनिर्णीत
21	पैरा 10 (ग)	अनिर्णीत
22	पैरा 10 (घ)(ii)	अनिर्णीत
23	पैरा 10 (घ)(iii)	अनिर्णीत
24	पैरा 10 (ड.)	अनिर्णीत
25	पैरा 10 (च)	अनिर्णीत
26	पैरा 10 (छ) (i)&(ii)	अनिर्णीत
27	पैरा 10 (ज)	अनिर्णीत
28	पैरा 10 (झ)	अनिर्णीत
29	पैरा 10 (ञ) (i)to(iii)	अनिर्णीत
30	पैरा 10 (ट) (i)to(v)	अनिर्णीत
31	पैरा 10 (ठ)	अनिर्णीत
32	पैरा 11 (क)	अनिर्णीत
33	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत
34	पैरा 11 (ग)	अनिर्णीत
35	पैरा 12	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत)
2	पैरा 4 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 4 (ख) (ग) (घ)	अनिर्णीत	
4	पैरा 4 (ङ)	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना सुनिश्चित करने पर)
5	पैरा 4 (च)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 4 (छ)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4 (ज)	निर्णीत	(वर्णित ₹5890 की वसूली करने पर निर्णीत)
8	पैरा 5	अनिर्णीत	
9	पैरा 6 (क) (ख) (ग)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
10	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत	
11	पैरा 7 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा 7 (ख) (ग) (घ)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
13	पैरा 7 (ङ)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
14	पैरा 7 (च)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
15	पैरा 7 (छ)	अनिर्णीत	
16	पैरा 8	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
17	पैरा 9	निर्णीत	
18	पैरा 10 (क) (ख)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
19	पैरा 11 (क) (ख)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
20	पैरा 12	अनिर्णीत	
21	पैरा 13	अनिर्णीत	
22	पैरा 14	अनिर्णीत	
23	पैरा 15	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

24	पैरा 16	अनिर्णीत	
25	पैरा 17	अनिर्णीत	
26	पैरा 18 (i)	निर्णीत	(वर्णित ₹10050 की वसूली करने पर निर्णीत)
27	पैरा 18 (ii)	निर्णीत	(वर्णित ₹30464 की वसूली करने पर निर्णीत)
28	पैरा 18 (iii)(iv)	अनिर्णीत	
29	पैरा 19	अनिर्णीत	
30	पैरा 20	निर्णीत	(वर्णित ₹284 की वसूली करने पर निर्णीत)
31	पैरा 21	अनिर्णीत	
32	पैरा 22	अनिर्णीत	
33	पैरा 23	अनिर्णीत	
34	पैरा 24	अनिर्णीत	
35	पैरा 25	अनिर्णीत	
36	पैरा 26	आंशिक रूप से निर्णीत	(₹7360 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से रसीद संख्या 12825 व 12823 द्वारा दिनांक 3.2.2018 को कर ली गई है इस राशि को एचपी बिल्डिंग उंड अन्य कन्स्टक्शन वर्क वेलफयेर बोर्ड में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में बताई जाए)
37	पैरा 27	अनिर्णीत	
38	पैरा 28 (क)	अनिर्णीत	
39	पैरा 28 (ख)	निर्णीत	(वर्णित ₹49 की वसूली करने पर निर्णीत)
40	पैरा 29	अनिर्णीत	
41	पैरा 30	अनिर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

अनिर्णीत पैरो का सार

अन्तशेष	170
लगाए गए पैरे	24
निर्णीत पैरे	19
अन्तशेष	175